फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

रविन्द्र बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 6/सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27.12.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट रविन्द्र पुत्र केहरी सिंह निवासी पुराना वास, खेरली गडासिया की अपील आर टी आई के तहत ऑनलाईन अपील संख्या 060512408448190 से तहसीलदार बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के संदर्भ में अपीलार्थी को सूचित हो कि " राज़स्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ. प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 बिन्दुसं0 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की नकल देने का आर.टी.आई. में प्रावधान है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है से सम्बन्धित सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती है। " अतः उक्तानुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	